FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

रामकिशोर बनाम भूमिधारी, नीमकाथाना

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 भू.रा.अधि. मु0नं0 635 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1238

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08-09-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री सुरजभान पूनियां एडवोकेट** उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24.09.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
२५.९.२५	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2075–2078 राजस्व ग्राम छापर पटवार हल्का बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना के भूमि खसरा नं. 1327/1073 रकबा 1.00 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है। **<u>आदेश</u>** **प्रा0 पत्र ...** **निर्णय दिनांक 25.9.25** उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि **राजस्व ग्राम छापर पटवार हल्का बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना के भूमि खसरा नं. 1327/1073 रकबा 1.00 हैक्ट0 की प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 26.08.2025 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:54:09 IST
Reason: SelfAttested

नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:54:09 IST
Reason: SelfAttested